



CITY OF PATNA

सेवा में,

1. श्रीमती बिन्दा देवी एवं अन्य,
पति- श्री बालदेव राय,
पता- मोहल्ला-भीखाचक, थाना- गर्दनीबाग,
जिला- पटना, बिहार।
2. वास्तुविद, श्रीमती मधु स्मृति, निबंधन सं०-AR/33/2015
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लॉन केस सं०- P/Chitkohra-PRN-B+G+9/27/2019 के निबंधित वास्तुविद/
अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर भू-पट्टी
छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन
निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66
वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे,
साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice fro
Commencement of Work) BYELAWS No.-8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान
अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन
उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन
उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/ अभियंता
किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार
आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद / अभियंता के
द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय
अभियंता के समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/
अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिए
आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के
पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

E. K. Ravi
25/09/19

उप निदेशक

शहरी योजना,



सेवा में,

1. श्रीमती विन्दा देवी एवं अन्य,
पति- श्री बालदेव राय,
पता- मोहल्ला-भीखाचक, थाना- गर्दनीबाग,
जिला- पटना, बिहार।
2. वास्तुविद, श्रीमती मधु स्मृति, निबंधन सं०-AR/33/2015
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लॉन केस सं०- P/Chitkohra-PRN-B+G+9/27/2019 के निबंधित वास्तुविद/
अभियंता के द्वारा अतिरिक्त मू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर मू-पट्टी
छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि मू-स्वामी/ भवन
निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त मू-पट्टी हेतु 33.66
वर्ग मीटर) मू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे,
साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for
Commencement of Work) BYE LAWS No.-8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान
अतिरिक्त मू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर मू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन
उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन
उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/ अभियंता
किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार
आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद / अभियंता के
द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय
अभियंता के समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/
अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिए
आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के
पात्र होंगे।

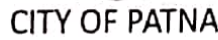
कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

Signature
25/09/19

उप निदेशक

शहरी योजना,



Date / दिनांक: 26/9/2017

1. श्रीमती बिन्दा देवी एवं अन्य,
पति— श्री बालदेव राय,
पता— मोहल्ला—भीखाचक, थाना— गर्दनीबाग,
जिला— पटना, बिहार।
2. वास्तुविद, श्रीमती मधु स्मृति, निबंधन सं०—AR/33/2015
पटना नगर निगम।

महाशय,

महाशय, उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYELAWS No.-8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/ अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद / अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता के समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिए आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

Guthrie
25/09/15

उप निदेशक

शहरी योजना,



सेवा में,

1. श्रीमती बिन्दा देवी एवं अन्य,
पति— श्री बालदेव राय,
पता— मोहल्ला—भीखाचक, थाना— गर्दनीबाग,
जिला— पटना, बिहार।
2. वास्तुविद, श्रीमती मधु स्मृति, निबंधन सं०—AR/33/2015
पटना नगर निगम।

विषय :— प्लॉन केस सं०— P/Chitkohra-PRN-B+G+9/27/2019 के निबंधित वास्तुविद/
अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर भू-पट्टी
छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन
निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66
वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे,
साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice fro
Commencement of Work) BYE.LAWS No.-8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान
अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 33.66 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन
उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन
उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/ अभियंता
किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार
आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद / अभियंता के
द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय
अभियंता के समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/
अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिए
आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के
पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

Signature
25/09/19

उप निदेशक

शहरी योजना,